संख्या 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली-110003

दिनांक 23 मार्च 2009

विषय: **छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उद्भूत विसंगतियों के समाधान के लिए एक विसंगति समिति का गठन ।**

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उद्भूत विसंगतियों के समाधान के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.01.2009 के का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 04.02.2009 के का.ज्ञा. सं.-11/2/2008-जे.सी.ए. द्वारा सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के सदस्यों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय विसंगति समिति का गठन किया गया है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.01.2009 के अनुसार, विसंगति में ऐसे मामलों को शामिल किया जाएगा, जहां सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष का यह मत हो कि आयोग द्वारा कोई कारण बताए बिना उनकी कोई शिफारिश स्वयं छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अथवा नीति का उल्लंघन करती है ।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह सूचित किया है कि उपर्युक्त समिति उन सभी प्रकार की विसंगतियों की जांच करेगी, जो विसंगतियां उनके दिनांक 12.1.2009 के का.ज्ञा. संख्या 11/2/2008-जे.सी.ए. में यथा परिभाषित विसंगतियों की परिभाषा के अंतर्गत आती है । यदि कर्मचारी पक्ष और सरकारी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि पेंशन से संबंधित कोई विशिष्ट मुद्दा, विसंगति की परिषभाषा के अंतर्गत आता है, तो उसे भी राष्ट्रीय विसंगति समिति में चर्चा के लिए उठाया जा सकता है ।

3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.1.2009 के का.ज्ञा. संख्या 11/2/2008-जे.सी.ए. में यह प्रावधान है कि विसंगति समिति, इसके गठन से छः माह तक सचिव, कर्मचारी पक्ष के माध्यम से विसंगतियां प्राप्त करेगी । तदनुसार, सभी पेंशनभोगी एसोसिएशनों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार द्वारा जारी पेंशन संबंधी आदेशों में कथित विसंगतियों के संबंध में अपने अभ्यावेदन सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) 13-सी, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली -110001 को भेजें ।

(एम.पी.सिंह)

निदेशक (पी.पी.)

टेलेक्स संख्या-24624802

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. मानक डाक सूची के अनुसार